एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एवं हॉस्पिटल
एपेक्स वेलकेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित मल्टी स्पेशियलिटी हेल्थ केयर, आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान
एन. एच. 7, वाराणसी– मीरजापुर रोड, समसपुर, हवेली, चुनार, जि. मीरजापुर
फो.: 9628214214, 9415626497 ईमेल: aims.mzp@gmail.com

Date: 01-09-2022

To,

The Chairman
NCISM New Delhi

Sub: Regarding Activity of "Hospital Cornea Retrieval Program"

Respected Sir,

We Apex Institute of Ayurvedic Medicine & Hospital Organize a Medical awareness program for Hospital cornea Retrieval at Apex Trust Hospital, Samaspur, Chunar, Mirzapur in association with Eye Bank Society, Sah Hospital, Varanasi. In this session discuss about eye donation benefit. In this program 25 doctors, 35 Hospital Staff and 45 Students are benefited.

Copy to:

1. Secretory NCISM, New Delhi
2. Secretory Ayush Ministry, New Delhi

PRINCIPAL
APEX INSTITUTE OF AYURVEDIC
MEDICINE AND HOSPITAL
NH-7, MIRZAPUR - VARANASI ROAD
SAMASPUR, CHUNAR, MIRZAPUR

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पंजीकृत आई बैंक उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मेडिकल कालेज उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0-30फ/आ0से0/ई0डी0एफ/आई बैंक/2022-23/1214 लखनऊ:दिनांक- 03/अगस्त/2022

विषयः- राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 37वाँ नेत्रदान पखवाडा दिनांक 25 अगस्त, 2022 से 8 सितम्बर 2022 के बीच मनाये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।

महोदय,

जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रदेश में हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितम्बर के बीच नेत्रदान पखवाडा मनाया जाता है जिसमें प्रदेश की जनता को अपनी या अपने परिचितो, रिश्तेदारों की मृत्यु के उपरान्त नेत्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस वर्ष भी भारत सरकार के संलग्न पत्र संख्या:-टी0-12011/1/2022-एनपीसीबीएण्डवीआई दिनांक 27 जून, 2022 जिसे संलग्न कर आपको इस आशय से भेजा जा रहा है कि इसमें दिये गये निर्देशों के अनुसार यह पखवारा मनाये जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं।

भारत सरकार स्तर पर निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े में ऐसे लोग जो नेत्रदान करने के इच्छुक हों परन्तु नेत्रदान की जानकारी न होने के कारण नेत्रदान नही कर पाते हैं कों जानकारी प्रदान करते हुए सभी को नेत्रदान हेतु प्रेरित करते हुए नेत्रदान कराये जाने के प्रयास किये जायें। नेत्रदान में बाधक सभी अंधविश्वास, भ्रम तथा गलत मान्यताओं को दूर करते हुए लोगों के जीवन पर धनात्मक प्रभाव को बढ़ाया जाना है, जिसके लिए प्रदेश की जनता को नेत्रदान के विभिन्न पहलुओं जैसे कौन नेत्रदान कर सकता है या कौन नही तथा नेत्रदान में प्राप्त आखों को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है तथा नेत्रदान में कौन-कौन से अन्धविश्वास एवं भ्रम समाज में व्याप्त है एवं इसमें सत्यतथ्य क्या है से समाज को शिक्षित किया जाना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त स्थानीय दूरदर्शन एवं आई इंडिया रेडियो/ सामुदायिक रेडियों स्टेशनों पर नेत्रदान से सम्बन्धित विशेषज्ञो के साथ परिचर्चा/ वार्ता का आयोजन कर जनता मे कार्नियल ब्लाईन्डनेस की समस्या एवं इसे दूर करने में नेत्रदान की महत्ता को प्रचारित किया जाना है। इसके साथ-साथ अन्य उपलब्ध सोशल मीडिया प्लेटफार्मे जैसे यू-टयूब, वाट्सएप/मोबाईल मैसेज़ तथा ट्वीटर आदि पर भी उक्त पखवाडे का प्रचार प्रसार किया जाना अपेक्षित है तथा अन्य प्रचार गतिविधियों/कार्यक्रमों को भी कोविड-19 महामारी में सरकार द्वारा जारी सभी गाईड लाइन्स तथा सोशल डिस्टेन्गि का पालन करते हुए आयोजित किया जाये। उक्त पखवाडें के सभी आयोजन में "आजादी का अमृत महोत्सव" के लोगो का प्रयोग किया जाना है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार के संलग्न निर्देश पत्र में दिये गये सभी 10 बिन्दुओं का समायोजन करते हुए दिनांक 25 अगस्त, 2022 से 8 सितम्बर 2022 तक नेत्रदान पखवाडा मनाकर किये गये कार्यक्रमों की विस्तृत रिपोर्ट फोटो सहित अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 30.09.2022 तक आवश्यक रूप से भेजना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार एंव प्रदेश सरकार को कार्यक्रम की उपलब्धियों से अवगत कराया जा सके। कार्यक्रम का पूर्ण विवरण ई-मेल के पते (sponpcblucknow@gmail.com and sponpcblko@rediffmail.com) पर मेल किया जाना अपेक्षित है।

संलग्नकः-भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में दिये गये दिशानिर्देश।

(डा0 संजय कुमार)
राज्य कार्यक्रम अधिकारी(एनपीसीबीएण्डवीआई)/
संयुक्त निदेशक (नेत्र उपचार)

पत्र सं0-30फ/आ0से0/ई0डी0एफ/आई बैंक/2022-23/ तदृदिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित कों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन, विकास भवन लखनऊ।
2. डा0 राजेश हंस, ए0डी0जी(आप्थ), कमरा न0 342-ए, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली।
3. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0म0, एस0पी0एम0यू0 कार्यालय, 16, ए0पी0सेन रोड, चारबाग, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. स्टाफ आफीसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 6वां तल, जवाहर भवन लखनऊ।
7. निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

संलग्नकः-यथोक्त

(डा0 संजय कुमार)
राज्य कार्यक्रम अधिकारी(एनपीसीबीएण्डवीआई)

Hospital Cornea Retrieval Programme (HCRP)

Memorandum of Agreement:

In recognition of the benefits of eye donation, **APEX HOSPITAL** (Hereinafter referred as the "Hospital") and **VARANASI EYE BANK SOCIETY,** (herein after referred to as the "Eye Bank"), enter into this agreement in order to facilitate the procurement of corneal tissue for transplantation, research and medical education.

The purpose of this agreement is to provide a basis for interaction between the staff of the hospital and the representatives of the Eye Bank by establishing suitable policies and procedures and by identifying responsibilities of the hospital and the eye bank as set forth below.

Responsibilities of the hospital:

The Hospital through its personnel shall:

1. Notify the appropriate designees of potential donors
2. Conduct appropriate donor maintenance pending eye donation
3. *Be familiar with hospital and Nursing Service policies and procedures.*
4. *Request permission for eye donation from the next of kin.*
5. *Participate in obtaining clearance from the medical examiner when necessary.*
6. *Complete all necessary paper work required before donation can proceed.*
7. *Call the eye bank with donor information, including name, age, time and cause of death.*
8. Comply with the provisions of the Human Organs Transplant Act 1994

Responsibilities of the Eye Bank

The Eye Bank through its Transplant Coordinator designee shall:

1. Conduct in-service education on eye, and tissue procurement, developing a rapport between the eye bank and the hospital staff.
2. Coordinate the surgical efforts for the removal of eyes.
3. Provide technical support for preservation and transportation of enucleated eyes.
4. Provide follow-up information to the donor's family and all involved medical personnel within the restriction of confidentiality.
5. Comply with the provisions of Human Organs Transplant Act 1994.

Effective dates: *This memorandum of agreement shall become effective upon signature of both parties and will remain in effect until terminated by 90 days advance written notice to either party. This agreement may be amended by written agreement of both parties.*

For APEX HOSPITAL | For Varanasi Eye Bank Society

Chairman / Director | President / Secretary

Date:

Date :

एपेक्स ट्रस्ट हॉस्पिटल
जीवन जीते रक्तदान-मरणोपरान्त नेत्रदान
राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा
25 अगस्त से 8 सितम्बर
नेत्रदान जागरुकता अभियान

एपेक्स ट्रस्ट हॉस्पिटल
एपेक्स ट्रस्ट हॉस्पिटल

एपेक्स ट्रस्ट
हॉस्पिटल
7522063706
Crizal

एपेक्स ट्रस्ट
हॉस्पिटल
7522063706
राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा
25 अगस्त से 8 सितम्बर
नेत्रदान जागरुकता अभियान
वाराणसी आई बैंक सोसाइटी
साह हॉस्पिटल, रामकटोरा, वाराणसी
OPD BLOCK
राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा
25 अगस्त से 08 सितम्बर
वाराणसी आई बैंक सोसाइटी

एपेक्स ट्रस्ट
हॉस्पिटल
AIMS
7522063706
राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा
25 अगस्त से 8 सितम्बर
नेत्रदान जागरुकता अभियान
वाराणसी आई बैंक सोसाइटी
OPD BLOCK
राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा
25 अगस्त से 08 सितम्बर
वाराणसी आई बैंक सोसाइटी
साह हास्पिटल, रामकटोरा, वाराणसी

एपेक्स ट्रस्ट
हॉस्पिटल
7522063706
प्रतीक्षालय
Crizal
Kodak